सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 138	राँची, शुक्रवार,	28 माघ, 1938 (श०)
		17 फरवरी, 2017 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

अधिसूचना
16 फरवरी, 2017

विषय:- **बाजार समितियों में e-platform एवं कृषि उत्पादों के e-trading के विनियमन हेतु प्रस्तावित झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 (यथा संशोधित 2017) अधिसूचित किये जाने के संबंध में ।**

संख्या-7/कृ०वि०प०-16/2016-546/कृ०-- झारखण्ड राज्य में कृषि उपजों के व्यापार को नयी तकनीक के अनुरूप बनाये जाने हेतु राज्य में कृषि उपजों की e-trading के विनियमन हेतु झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 (यथा संशोधित, 2013) में संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्यपाल "झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2017)" निम्नवत अधिसूचित करते हैं:-

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(i) यह नियमावली झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2017) कहलायेगी ।

(ii) यह संपूर्ण झारखण्ड राज्य पर लागू होगा ।

(iii) यह राज्य सरकार की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली-2000 (यथा संशोधित 2013) के नियम-02 के उपबंध (xxxv) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किये जाते हैं :-

(xxxvi) ई-ट्रेडिंग से अभिप्रेत है, उस बाजार से जहां अधिसूचित कृषि उपजों का व्यापार एक इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जायेगा ।

(xxxvii) एकल अनुज्ञप्ति (एकीकृत लाईसेंस) से अभिप्रेत है कि लाईसेंसधारी संपूर्ण राज्य के सभी बाजार समितियों के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय के लिए अधिकृत होगा ।

3. झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली-2000 (यथा संशोधित 2013) के नियम-150 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अंत:स्थापित किया जाता है ।

151. राज्य सरकार/बोर्ड ई-ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक विनियमन से संबंधित मापदण्ड एवं आधारभूत संरचना समिति स्तर पर स्थापित करेंगे । कोई भी व्यक्ति/अनुज्ञप्तिधारी ई-व्यापार करने के उद्देश्य से एकल अनुज्ञप्ति प्राप्त कर राज्य के ई-ट्रेडिंग हेतु चयनित सभी बाजार समिति क्षेत्रान्तर्गत ई-ट्रेडिंग करेंगे । कृषक बाजार समिति में अपना पंजीयन कराकर अपने उत्पाद को ई-व्यापार के माध्यम से बिक्री करेंगे ।

152. अनुज्ञप्तिधारी झारखण्ड राज्य के सभी समिति क्षेत्रान्तर्गत निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के ई-व्यापार (क्रय-विक्रय) के लिए अधिकृत होगा । प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन/प्राधिकृत पदाधिकारी एकीकृत अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अधिकृत होंगे । प्रबंध निदेशक की पूर्व सहमति से लाईसेंस निर्गत पदाधिकारी इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाईसेंस को निलंबित अथवा रद्द कर सकेंगे। ई-ट्रेडिंग हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(i) इलेक्ट्रोनिक निविदा की सुविधा सभी चयनित बाजार समिति द्वारा प्रदान किया जायेगा । आवश्यक ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, साफ्टवेयर एवं हॉर्डवेयर का स्थापन किया जायेगा । जैसा कि प्रबंध निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशित करें ।

(ii) बाजार समिति ई-ट्रेडिंग (ऑनलाईन) का संपूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा ।

(iii) कृषकों को यह छूट होगा कि निर्धारित समयावधि में उच्चतम बोली को अपना सकेगा या रद्द कर सकेगा ।

(iv) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम लगायी गई बोली स्वीकार्य नहीं होगी ।

(v) क्रेता द्वारा लगायी गई बोली कृषकों को शुद्ध भुगतेय राशि होगी, जिसमें अन्य कोई प्रभार्य सम्मिलित नहीं रहेगा ।

(vi) प्रबंध निदेशक ऐसे उत्पादों एवं बाजारों को विनिर्दिष्ट करेंगे, जहां उन उत्पादों की बिक्री कीमत उस मण्डी क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा निर्धारित की जायेगी, जैसा कि निदेशक इस निमित्त निदेशित करें ।

(vii) उत्पादों के गुणवत्ता का परीक्षण, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण एवं मानकीकरण किया जायेगा ।

(viii) उत्पादों की बिक्री के पूर्व एवं पश्चात् इनकी तौलाई की जायेगी ।

(ix) बाजार क्षेत्र में वेयर हॉउस में उत्पादों का संग्रह करने एवं ऐसे संग्रहित उत्पादों की बिक्री की जायेगी ।

(x) वेयर हॉउस की प्राप्तियों के सापेक्ष्य सांपार्श्विक वित्तपोषण और ऋण की सुविधा दी जायेगी ।

(xi) क्रेता द्वारा व्यतिक्रम के मामले में किसान को मुआवजा दिया जायेगा ।

(xii) बाजार आसूचना प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा ।

(xiii) कोई अन्य विषय जो प्रबंध निदेशक की राय में उत्पादों की बिक्री को इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक हो अथवा बाजारों में होनेवाले सौदों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगे ।

(xiv) ई-ट्रेडिंग के लिए एकीकृत अनुज्ञप्ति हेतु रू० 1000.00 (एक हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के नाम से देय होगा, के साथ पर्षद में आवेदन करना होगा । यह अनुज्ञप्ति एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा, जिसे अगले वित्तीय वर्ष हेतु नवीकृत किया जायेगा । नवीकरण हेतु नवीकरण शुल्क रू० 500.00 (पांच सौ रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के नाम से देय होगा, के साथ पर्षद में आवेदन करेंगे ।

(xv) अनुज्ञप्ति नवीकरण में चूक होने पर प्रतिदिन रू० 100.00 (एक सौ रूपये) की दर से शास्ति के साथ नवीकरण शुल्क देय होगा।

4. मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2017 को आहूत बैठक के मद सं०-04 के रूप में उक्त प्रस्ताव स्वीकृत है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० नितिन मदन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 138--50